2022/174

# फर्द अहकाम

पांचू बनाम ओमप्रकाश

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 84 / 22

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 08.07.2022 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के वकील को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने एवं वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हम पाते है कि वकील प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली दिनांक 01.08.2022 को पेश हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>बस्सी जिला जयपुर | |
| 01/8/22 | पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब दौरे अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही हो सकी। पत्रावली दिनांक 07/10/22 को पेश हो। | |
| 7/10/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं है ना ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित है। न्यायालय समय तक शाम तक का आवाजें लगवाई गई परन्तु ना तो प्रार्थी स्वयं उपस्थित है ना ही प्रार्थी की ओर से कोई वकील आदि उपस्थित नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |

Scanned with OKEN Scanner